कार्यालय सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला चिकित्सालय श्योपुर म0प्र0

क्रमांक / क्र.शा. / 2019 5591 श्योपुर, दिनांक : 19-9-19

प्रति,

प्रभारी अधिकारी

एन.आई.सी.

जिला श्योपुर म.प्र.

विषयः– एन.आई.सी. पोर्टल पर पार्किंग एवं वाहन टेंण्डर हेतु सूचना जारी करने बावत्।

उपरोक्त विषय में लेख है कि जिला चिकित्सालय श्योपुर में वाहन पार्किंग एवं कार सिविल सर्जन हेतु किराये लगवाने बावत्, टेंण्डर आमंत्रित किये जाते है। कृपया इसे एन.आई.सी. वेब पोर्टल पर अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्न - 1 वाहन पार्किंग निविदा पत्र
2 शार्ट टेंडर

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला चिकित्सालय श्योपुर (म.प्र.)

कार्यालय सिविल सर्जन सह. मुख्य अस्पताल अधीक्षक

जिला चिकित्सालय श्योपुर (म.प्र.)

क्रमांक / क्रय / 2019 श्योपुर दिनांक ....

// वाहन पार्किंग निविदा जिला चिकित्सालय श्योपुर //

जिला चिकित्सालय श्योपुर में वाहन स्टेण्ड आउट सोर्स ऐजेन्सी को ठेके पर देना है। संबंधित फर्म / व्यक्ति निम्न शर्तो के अधीन अपनी निविदा दरें दिनांक 26 / 09 / 2019 दोपहर 1 बजे तक अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है।

1. एजेन्सी को 24 घण्टे सेवाऐं देनी होगी, तथा 1 व्यक्ति प्रत्येक शिफ्ट में मेन गेट एन्ट्रेंस पर हमेशा उपलब्ध रहेगा,तथा वाहनो को अपने नियत पार्किंग स्थान की तरफ भेजेगा,साथ ही यह व्यक्ति मेन गेट एन्ट्रेंस से आवारा पशुओ को अस्पताल में प्रवेश से भी रोकेगा।
2. एजेन्सी द्वारा दूसरा व्यक्ति प्रत्येक शिफ्ट में उपलब्ध कराना होगा,जो कि वाहनो को उचित तरीके से रखवाएगा तथा वाहनो पर टोकन लगाएगा।
3. वाहनो की सुरंक्षा हेतु आवश्यकता अनुसार प्रत्येक शिफ्ट में अन्य सुरंक्षा कर्मी नियुक्त करने होगें।
4. उपभोक्ताओ से संभ्यता पूर्ण व्यवहार करना होगा।
5. चिकित्सालय द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जाएगा। मोटर साईकिल हेतु प्रति दिन 10 / रू. साईकिल हेतु 5 / रू., तथा तीन एवं चार पहिया वाहन हेतु 20 / रू. चार्ज लिया जाएगा।
6. भर्ती मरीज हेतु यदि कोई वाहन बार–बार आता है,तो उसे 24 घण्टे हेतु टोकन दे दिया जायें,जिसका शुल्क मोटर साईकिल हेतु 20 / रू.,साईकिल हेतुं 10 / रू. तथा तीन एवं चार पहिया वाहन हेतु 50 / रू. का शुल्क लिया जाएगा।
7. गंभीर मरीजो को अस्पताल के गेट तक छोडने हेतु कोई भी वाहन आता है,तथा उस बीमार व्यक्ति को छोड़कर चला जाता है, तो उससे कोई शुल्क नही लिया जाएगा।
8. निर्वाचित जन प्रतिनिधि,शासकीय कार्य से आए अधिकारीगण,विभागी अधिकारी,तथा जिला चिकित्सालय के समस्त स्टाफ इस पार्किंग शुल्क से मुक्त रहेगें तथा इनके वाहनो को निर्धारित स्थल पर खडे करवाना एवं इनकी सुरंक्षा का दायित्व आपका रहेगा।
9. सबसे अधिक निविदा दर देने वाली एजेन्सी की दरे स्वीकृत की जाएगी,तथा दरे स्वीकृत होने पर तत्काल टेण्डर स्वीकृत होने के पश्चात अनुबंध राशि के रूप में रू / 10000 नगद,ड्राफ्ट अथवा एफडी धरोहर राशि के रूप में जमा करना होगा। तथा कार्यादेश के पश्चात तत्काल कार्य शुरू करना होगा। तथा प्रति माह 1 महीने का अग्रिम किराया देना अनिवार्य रहेगा।
10. यह ठेका अस्थाई रूप से दिया जाएगा। तथा अधिकतम अवधि 1 वर्ष की होगी। 1 वर्ष पश्चात दोनो पक्षो की सहमति से अथवा नवीन टेण्डर होने तक ठेका बढाया जा सकेगा।
11. सेवाऐं संतोषजनक नही होने पर अथवा किसी भी समय बिना कोई कारण बताऐं अद्योहस्ताक्षर कर्ता ठेके को समाप्त कर सकता है।
12. विस्तृत जानकारी हेतु सिविल सर्जन कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

सिविल सर्जन सह.मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला चिकित्सालय श्योपुर (म.प्र.)

कार्यालय सिविल सर्जन सह. मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला चिकित्सालय श्योपुर (म.प्र.)

क्रमांक / क्रय / 2019 5551

श्योपुर दिनांक 19-9-19

// शोर्ट टेण्डर जिला चिकित्सालय श्योपुर //

जिला चिकित्सालय श्योपुर सिविल सर्जन कार्यालय में किरायें पर वाहन की आवश्यकता है। संबंधित व्यक्ति / फर्म निम्न शर्तो के अधीन अपनी दरे दिनांक 26 / 09 / 2019 दोपहर 1 बजे तक अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है।

1. वाहन नया एवं उत्तम स्थिति में होना चाहिऐं, वाहन में लग्जरियस,एयर कंडीशन होना चाहिऐं।
2. वाहन का मेन्टेंनेंस एवं ड्रायवर वाहन मालिक का होगा।
3. वाहन की दरें प्रति माह जी.एस.टी. राशि सहित तथा 1 हजार कि.मी.प्रति माह तक ईधन के खर्चे को सम्मिलित करके प्रस्तुत करनी होगी।
4. 1 हजार कि.मी. से अधिक चलने पर प्रति कि.मी. के हिसाब से अतिरिक्त दरे प्रस्तुत करनी होगी।
5. वाहन का अनुबंध अधिकतम 1 वर्ष का होगा तथा दोनो पक्षों की सहमति से अथवा नवीन टेण्डर होने तक अनुबंध बढाया जा सकता है।
6. कार्य असंतोषजनक होने पर अद्योहस्ताक्ष कर्ता बिना कोई कारण बताऐं सेवाऐं कभी भी समाप्त कर सकता है।
7. टेण्डर स्वीकृत होने के पश्चात अनुबंध राशि के रूप में रू / 5000 नगद,ड्राफ्ट अथवा एफ्डी धरोहर राशि के रूप में जमा करना होगा।
8. वाहन दिनांक 1 / 10 / 2019 से उपलब्ध कराना होगा।
9. टेक्सी परमिट को प्राथमिकता दी जावेगी,टेक्सी परमिट उपलब्ध ना होने पर अन्य वाहन की निविदा स्वीकृत की जावेगी।
10. विस्तृत जानकारी हेतु सिविल सर्जन कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

सिविल सर्जन सह.मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला चिकित्सालय श्योपुर (म.प्र.)